राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी,(नागौर)

पीठासीन अधिकारी – रामसुख गुर्जर RAS
राजस्व वाद संख्या 159/18 केम्प ग्राम पंचायत रूपपुरा रोहिडा

वादी बनाम प्रतिवादीगण

बालूराम सरकार

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

वाद पत्र धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनॉक :– 5/6/18

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी श्री बालूराम पुत्र पवानाराम - जाति जाट निवासी रावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर का रहने वाला है,वादी का नाम ग्राम रावा के खाता सख्या/खसरा नम्बर 264 में श्री बालुराम पुत्र पवानाराम जाति जाट अंकित हो गया है, जो सही नही है। राशनकार्ड/ पहचान पत्र/आधार कार्ड मे सही नाम बालुराम पुत्र जवानाराम है, इसलिए उक्त खाता में गलत नाम हटाकर सही नाम का रेकार्ड में दुरूस्ती करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी की गई। कि वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यो की जांच कर रिपोर्ट कैम्प रूपपुरा रोहिडा में पेश करे। पत्रावली केम्प रूपपुरा रोहिडा में पेश हुई । तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल की गई। वादी ने अपने नाम का रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु कैम्प रूपपुरा रोहिडा मे दस्तावेज पेश किये ,जो शामिल मिसल किये । कैम्प में उपस्थित मौतबरान से पूछताछ व वादी के वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से कैम्प में ही स्वीकार कर आदेश निम्न प्रकार पारित किया गया।

आदेश

ग्राम रावा तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या/खसरा नम्बर 264 में वादी श्री बालूराम पुत्र पवानाराम जाट निवासी रावा की जगह वादी का सही नाम बालुराम पुत्र जवानाराम जाति जाट निवासी रावा दुरूस्त किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा । डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे । राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो , मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 5/6/18 को सरे आम कैम्प रूपपुरा रोहिडा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)